



उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.
मुख्यालय, 2-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पीबीएक्स | 0522-4151200
फैक्स 0522-2629284
ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

पत्रांक : बैंकिंग/एफ-308/2023-24 / 578
दिनांक : 22 फरवरी, 2024

शाखा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखायें,
उत्तर प्रदेश।

विषय : बैंक में पी0एम0 विश्वकर्मा योजना लागू करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक-13.02.2024 में पारित प्रस्ताव सं0-13 में लिये गये निर्णय के क्रम में बैंक में पी0एम0 विश्वकर्मा योजना निम्नवत् लागू की जाती है:-

पी0एम0 विश्वकर्मा योजना में कारीगरों और शिल्पकारों के पारम्परिक कौशल, गुरु शिष्य परम्परा या परिवार आधारित परम्पराओं को मजबूत करने हेतु ऋण सहायता उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ट्रेनिंग देने, उपकरण खरीदने आदि की सहायता सरकार द्वारा दी जायेगी। कारीगरों एवं पारंपरिक शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड और डिजिटल आईडी के माध्यम से पहचान की जायेगी।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की शुरुआत दिनांक-17.09.2023 को हुई। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि इस योजना की तीन नींव हैं। इसे केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 के बीच 05 अवधि के लिए है तथा इसमें 18 पारम्परिक क्षेत्र के कलाकारों, शिल्पकारों, अस्त्रकारों एवं धोबी को शामिल किया गया है।

1. ऋण का उद्देश्य :-

योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना साथ ही उन्हें घरेलू बाजार एवं वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना है।

2. ऋण के पात्र :-

- एक कारीगर या शिल्पकार जो हाथ और औजारों से काम करता है और स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में निम्नलिखित निर्दिष्ट परिवार आधारित पारम्परिक व्यवसायों में से एक में लगा हुआ है, पंजीकरण/ऋण के लिए पात्र होगा एवं ऋणी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- बढई, नाव वाले
- लोहार, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले
- शस्त्र बनाने वाले
- ताला बनाने वाले
- सुनार

क्रमशः.....2



D:\New folder (4)\pm vishwakarma circular.doc

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

(2)

- कुम्हार
 - कपड़े धोने वाले श्रमिक
 - मूर्तिकार
 - पत्थर तोड़ने वाले
 - मोची
 - राजमिस्त्री
 - टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले कोंयर वीवर
 - पारम्परिक तौर पर गुड़िया और खिलौने बनाने वाले
 - नाई
 - माला बनाने वाले
 - धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले आदि
 - पी0एम0 विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
 - आवेदक को पंजीकरण की तिथि पर सम्बन्धित व्यवसायों में संलग्न होना चाहिए और पिछले 05 वर्षों में स्वरोजगार/व्यवसाय विकास के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं यथा-मुद्रा और पीएम स्वनिधि एवं पीएमईजीपी योजना में ऋण न लिया गया हो, जबकि लाभार्थी द्वारा लिया गया मुद्रा और स्वनिधि ऋण पूर्णतया चुका दिया है तो पी0एम0 विश्वकर्मा योजना हेतु पात्र होंगे। 05 वर्ष की इस अवधि की गणना ऋण स्वीकृत होने की तिथि से की जायेगी।
 - दूसरी ऋण किश्त उन कुशल उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने पहली किश्त का ऋण पूरी तरह से चुका दिया है और एक मानक ऋण खाता बनाये रखा है तथा अपने व्यवसाय में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत प्रशिक्षण लिया है। इसके अलावा, पहली किश्त के ऋण के वितरण के 06 महीने से पहले दूसरी ऋण किश्त स्वीकृत नहीं की जायेगी।
 - परिवार का केवल एक सदस्य ही उक्त योजना में पंजीकरण कराकर लाभ प्राप्त कर सकता है। (परिवार में पत्नी-पति एवं अविवाहित बच्चों को माना जायेगा, भारत सरकार की गाईड लाइन के अनुसार)
 - सरकारी कर्मचारी और उनका परिवार उक्त योजना के पात्र नहीं होंगे।
 - पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन की तिथि को लाभार्थी को सम्बन्धित व्यवसाय में होना अनिवार्य है।
 - लाभार्थी को सरकार के निर्धारित सभी मानकों को पूरा करना होगा।
3. योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
 - राशन कार्ड
 - निवास प्रमाण पत्र
 - व्यवसाय प्रमाण पत्र
 - बैंक खाता विवरण जो आधार से लिंक हो तथा पासबुक
 - मोबाईल नम्बर
 - पासपोर्ट साईज फोटो
 - जाति प्रमाण पत्र

क्रमशः.....3



(3)

4. योजना का कार्यक्षेत्र

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि०, उत्तर प्रदेश के कारीगरों/शिल्पकारों को ही नियमानुसार ऋण स्वीकृत करेगी, जो पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से शाखाओं को प्राप्त होगा।

5. ऋण की सीमा

ऋण दो किस्तों में ₹0 1.00 लाख और ₹0 2.00 लाख तक कुल ₹0 3.00 लाख स्वीकृत किया जायेगा।

6. ऋण अवधि :-

₹0 1.00 लाख हेतु 18 माह

₹0 2.00 लाख हेतु 30 माह

7. ब्याज दर :-

भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार ब्याज रियायती दर पर दिया जायेगा। तथा इसके लिए सरकार द्वारा वर्तमान में ऋणी हेतु ब्याज दर 5 प्रतिशत निर्धारित की गयी है और एमओएमएसएमई (Ministry of Micro, small and medium enterprises) द्वारा 8 प्रतिशत की ब्याज पर लोन का भुगतान किया जायेगा, इस प्रकार बैंक 13 प्रतिशत ब्याज चार्ज करेगा।

8. क्रेडिट गारण्टी स्कीम फॉर पीएम विश्वकर्मा योजना

सीजीटीएमएसई के परिपत्र सं०-165/सीजीटीएमएसई/पीएम विश्वकर्मा, दिनांक-24.11.2023 के माध्यम से सभी ऐलेजिबिल इन्स्टीट्यूशन्स को अवगत कराया है कि क्रेडिट गारण्टी स्कीम फार पीएम विश्वकर्मा, सीजीटीएमएसई द्वारा लान्च की गयी है। सीजीटीएमएसई द्वारा ऋण के कुल क्वान्टम ₹0 3.00 लाख जिसमें से प्रथम ऋण ट्रेन्च ₹0 1.00 लाख और द्वितीय ऋण ट्रेन्च ₹0 2.00 लाख हेतु गारण्टी प्रदान की जायेगी। गारण्टी कवर निर्धारित टेन्चोर के लिए उपलब्ध होगा। सीजीटीएमएसई द्वारा गारण्टी कवरेज के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गयी हैं:-

For First tranche loans:

(a) First loss default (0 to 7.5%) : 100% coverage

(b) Second loss (More than 7.5% and upto 20 %) : 80% coverage of default portfolio and

(c) Third Loss (More than 20% and up to 50%): 60% coverage of default portfolio.

❖ Maximum guarantee coverage will be 50% of the year portfolio for the First tranche of loan.

For Second tranche Loans:

(a) First Loss Default (Up to 5%): 100% coverage and for

(b) Second Loss (beyond 5% and up to 15%):80% of coverage of default portfolio

❖ Maximum guarantee coverage will be 15% of the year portfolio for the Second tranche of loan.

क्रमशः.....4



Handwritten signatures and initials in blue ink.

(4)

The details of coverage are given in the following table

	First Loan		Second Loan	
	Portfolio	Coverage	Portfolio	Coverage
First Loss	0 to 7.5%	100%	0 to 5%	100%
Second Loss	Above 7.5% to 20%	80%	Above 5% to 15%	80%
Third Loss	Above 20% to 50%	60%		
Maximum Guarantee Cover	50%		15%	
Effective Guarantee Cover	35.5%		15%	

Guarantee Fee:

No fee shall be charged from the Member Lending Institution/borrower.

Lock-in-period

Lock-in-period shall be 9 months from the first disbursement of the loan to the borrower.

Invocation of Guarantee:

❖ **NPA Marking**

The Member Lending Institution (MLIs) are required to inform the date on which the account was classified as NPA in a particular calendar quarter, by end of subsequent quarter.

❖ **Claim Lodgement time period**

MLI can lodge claim within 2 years from the NPA date after completion of lock-in-period. On lodgment of claim application by MLI on quarterly basis, CGTMSE would settle the claim in single instalment.

Legal Action

No Legal action is required for lodgement of claim.

Recovery:

Any recovery made from the NPA portfolio against which claim has been settled by CGTMSE will be allowed to be adjusted against future claim, if any, else will be returned to CGTMSE by the concerned lending institutions. The recovered amount, if any, shall be deposited by the lending institution with the Trust, after adjusting the legal cost incurred for recovery of dues.

Interpretation:

If any question arises in regard to the interpretation of any of the provisions of the scheme or of any directions or instructions or clarifications or necessary changes as required from time to time given in connection therewith, the decision of the Trust/CEO of the Trust, taken in consultation with MoMSME shall be final.

All other guidelines with regard to post guarantee operations are applicable for this scheme also.

क्रमशः.....5



D:\New folder (4)\pm vishwakarma circular.doc

R

R

R

R

R

R

(5)

9. प्रोसेसिंग फीस

शून्य

10. समय से पूर्व भुगतान शुल्क

ऋण डिस्बर्समेण्ट के 06 माह पश्चात् कोई पूर्व भुगतान शुल्क चार्ज नहीं किया जायेगा।

11. प्रलेखीकरण

- नामिनल मेम्बरशिप ली जायेगी।
- केवाईसी डॉक्यूमेण्ट लिये जायेंगे।
- ऋण स्वीकृति पत्र दिया जायेगा।
- लाभार्थी से ऋण की शर्तों का मंजूरी पत्र लिया जायेगा।
- मांग एवं वचन पत्र लिया जायेगा जिस पर निर्धारित मूल्य का रसीदी टिकट लगाया जायेगा।

12. ऋण का अप्रेजल:-

ऋण का अप्रेजल मुख्य प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक द्वारा या शाखा के किसी अधिकारी, जिसे मुख्य प्रबन्धक या शाखा प्रबन्धक द्वारा नामित किया गया हो, किया जायेगा। यद्यपि ऋण आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम तत्पश्चात् डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एवं अन्ततः भारत सरकार के लेवल पर गठित कमेटी के माध्यम से चयनित लाभार्थियों को ही मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत लेवल से तत्पश्चात् जिला लेवल गठित कमेटी एवं अन्ततः भारत सरकार द्वारा चयनित लाभार्थियों के आवेदन पत्र पोर्टल से प्राप्त होंगे जिनके बारे में इन कमेटियों द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित मानदण्डों का पहले से ही अप्रेजल किया जा चुका होगा, फिर भी बैंक शाखा को ऋण का अप्रेजल करना आवश्यक है।

13. ऋण की सुरक्षा/प्रतिभूति :-

उक्त ऋण (Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises(CGTMSE) गारण्टी कवर से आच्छादित है इसलिए किसी भी प्रकार की कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी, थर्ड पार्टी गारण्टी आदि नहीं ली जायेगी, परन्तु प्राइमरी सिक्योरिटी ली जा सकती है, जिसका शुल्क लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

14. दावा प्रक्रिया

- शाखाओं द्वारा ऋण से सम्बन्धित डाटा पी0एम0 विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, उक्त डाटा के आधार पर सीजीटीएमएसई गारण्टी जारी करेगा।
- गारण्टी विरुद्ध दावे शाखाओं द्वारा सीजीटीएमएसई पोर्टल पर दर्ज किये जायेंगे।
- दावे त्रैमासिक आधार पर दर्ज किये जायेंगे।

15. ऋण की वसूली

- शाखा में खुले बचत खाते के माध्यम से प्रथम ट्रेन्च हेतु स्वीकृत ऋण रू0 1.00



क्रमशः.....6

(6)

लाख को 18 माह में ब्याज सहित समान मासिक किश्तों में वसूला जायेगा।

- द्वितीय ट्रेन्च हेतु स्वीकृत रू0 2.00 लाख को 30 माह में ब्याज सहित समान मासिक किश्तों में वसूला जायेगा।

16. क्रेडिट स्कोर की जाँच :-

- आवेदक का क्रेडिट स्कोर निकाला जायेगा तथा इस योजनान्तर्गत कोई न्यूनतम स्कोर निर्धारित नहीं है।
- एनपीए/राईट ऑफ वाले आवेदकों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- सीआईसी शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
- क्रेडिट स्कोर 750 से अधिक होने पर ब्याज दर की छूट नहीं प्रदान की जायेगी।

17. स्वीकृत ऋण का भुगतान :-

- प्रथम ट्रेन्च रू0 1.00 लाख जिसे 18 माह की ब्याज सहित समान मासिक किश्तों में वापस करना होगा।
- प्रथम ऋण स्टैण्डर्ड होने पर तथा पूर्ण रूप से चुकता कर देने के पश्चात् ऋण की दूसरी ट्रेन्च रू0 2.00 लाख 30 माह हेतु स्वीकृत की जायेगी जिसे ब्याज सहित 30 माह की समान मासिक किश्तों में ऋणी को चुकता करना होगा।
- प्रथम ट्रेन्च के एनपीए होने पर या खाता स्टैण्डर्ड न होने पर द्वितीय ट्रेन्च का ऋण कदापि स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

18. अन्य

- ऋण के लिए आवेदन पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
- आंतरिक रेटिंग हेतु बैंक के परिपत्र सं0-बैंकिंग/व्य0/2019-20/95, दिनांक-01.02.2020 का पालन किया जायेगा।
- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोई भी संशोधन/स्पष्टीकरण इस योजना का हिस्सा माना जायेगा।
- बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

अतः उक्तानुसार दिये गये दिशा निर्देश एवं संलग्न परिपत्रों का भलीभांति अध्ययन कर पीएम विश्वकर्मा योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार ऋण स्वीकृत करना सुनिश्चित करें।

नोट : पीएम स्वनिधि पोर्टल के यूजर आईडी एवं पासवर्ड जो वर्तमान में शाखाओं के हैं, वही पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के भी होंगे।

20.2.20

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः.....7

12 R 12 12

12 12

(7)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
3. उप महाप्रबन्धक (आईडीडी) इस निर्देश के साथ कि उक्त योजना को प्रदेश स्थित समस्त जिला सहकारी बैंकों में लागू करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
4. प्रोजेक्ट मैनेजर मै० मेगासॉफ्ट प्रा० लि० को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजनान्तर्गत नया जीएल कोड बनाना सुनिश्चित करें।
5. महाप्रबन्धक (आई०टी०) को इस निर्देश के साथ कि उक्त योजनान्तर्गत ऋण वितरण के लिए अलग से जीएल बनाना एव रिपोर्ट में शामिल करना तथा डिजिटल लेनदेन हेतु योजना से सम्बन्धित आवश्यक सॉफ्टवेयर विकसित करने तथा बैंक की वेबसाइट पर परिपत्र को अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. समस्त महाप्रबन्धक/विभाग प्रभारी, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, मुख्यालय, लखनऊ।
7. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
8. स्टाफ आफिसर-अध्यक्ष प्रकोष्ठ को अध्यक्ष महोदय, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० के अवलोकनार्थ।
9. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
10. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक

